



संबंध में:

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.

ध्यानार्थ:

वादी

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुपालन में, यह वाद समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के समक्ष अपील डाकेट संख्या..... के तहत अपील रेफरी द्वारा दिए गए निर्णय पर (दावेदार) (नियोक्ता) की याचिका पर विचार करने के लिए आया था। अभिलेखित सबूत की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

अभिलेख की समीक्षा से पता चलता है कि दावेदार ने बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए प्रभावी एक नया प्रारंभिक दावा (एनआईसी) दायर किया है। अधिनिर्णायक द्वारा निर्धारण में डिवीजन दस्तावेज़ सं. दावेदार को के कारण लाभ के (अयोग्य) (अयोग्य नहीं) (पात्र) (पात्र नहीं) पाया गया है। एनआईसी से तक जारी रहा।

(दावेदार) (नियोक्ता) (दोनों पक्षों) की गवाही लेने के बाद, अपील रेफरी ने वाद को इस रूप में संभाला जैसे कि दावेदार (कानून के अर्थ के तहत बेरोजगार) (उसे रोजगार से हटा दिया गया) था। सुनवाई के दौरान, (दावेदार) (नियोक्ता) प्रमाणित हुआ कि.....। इस गवाही नेका एक मुद्दा उठाया। तथापि, टेलीफोन द्वारा सुनवाई की सूचना में केवल एक ही मुद्दे, डिवीजन दस्तावेज़ संख्या..... पर ध्यान दिया गया, जहां दावेदार चाहे या.....था। अपील रेफरी पक्षकारों से N.C. Gen. Stat. § 96-() के तहत के विवाद पर चर्चा के लिए सुनवाई में उपस्थिति में छूट-पत्र प्राप्त करने में विफल रहे। 04 N.C. Admin. Code 24C .0204 के अनुसार, सुनवाई के लिए डिवीजन की सूचना में सुनवाई और निर्णय लेने के प्रत्येक मुद्दे को संवैधानिक संदर्भ के साथ शामिल करना होगा। एक पक्षकार सुनवाई के दौरान अभिलेख में, या सुनवाई से पहले लिखित में, मुद्दे पर नोटिस की कमी को माफ कर सकता है।

पूर्वगामी के आधार पर, वाद को नए सिरे से सुनवाई के लिए रोजगार सुरक्षा डिवीजन के अपील अनुभाग को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए।

प्रतिप्रेषण पर सुनवाई पूरी होने पर, अपील रेफरी को अपील निर्णय रद्द करना होगा और तथ्य के नए छानबीन और कानून के निष्कर्ष के साथ एक नया निर्णय जारी करना होगा। तथ्य की इस नई छानबीन में प्रतिप्रेषणों का प्रक्रियात्मक इतिहास, प्रतिप्रेषण ऑर्डर की औपचारिकताओं का सारांश, और इस मामले में आयोजित की गई हर सुनवाई में पेश होने वाले पक्षों और गवाहों का विवरण दिया जाएगा।

वाद को इस फैसले के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है।

महत्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें



उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या.
पृष्ठ दो का दो

यह आदेश दिया जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षों को पुनः सुनवाई के समय और स्थान के बारे में विधिवत् अधिसूचित किया जाएगा, और अपील रेफरी प्रतिप्रेषित सुनवाई के निष्कर्ष में पूर्व नियोजित सभी डॉक संख्याओं का उपयोग करके नए निर्णय की पहचान करेंगे। पहले गौर की गई समस्याओं के अतिरिक्त, पक्षों को भेजे गए सुनवाई के नोटिस में सुनवाई में अपील रेफरी द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दों के बीच N.C. Gen. Stat. § 96- () के अनुसार [INSERT ISSUE] के मुद्दे भी शामिल होंगे।

इसके आगे यह भी आदेश दिया जाता है कि इस निर्णय के साथ याचिका और किसी भी नाम या पदनाम द्वारा अन्य सभी पत्राचार या दस्तावेज सहित, अपील रेफरी को प्रेषित अभिलेख में निहित सभी दस्तावेज, प्रदर्शनीय के रूप में चिह्नित और कानून के अनुसार आवश्यक अभिलेख पूरा करने के लिए प्रतिप्रेषण अपील रेफरी द्वारा अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जब तक कि मुख्य अपील रेफरी द्वारा कोई विस्तार प्रदान न किया गया और अभिलेख का हिस्सा न बना दिया गया हो, इस मामले में अपील अनुभाग में प्रतिप्रेषित अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक निणरय परेषित किया जाएगा।

समीक्षा बोर्ड के सSusan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस निणरय से सहमत हैं।

यह.

समीक्षा बोर्ड

अध्यक्ष

सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए सूचना

एक कानूनी प्रतिनिधि जैसा कि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है (एक तीसरे पक्ष की कंपनी के नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा व्यवस्थापक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। पर्यवेक्षण वकील की नोटिस और / या प्रमाणीकरण 04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार लिखित में होना चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व N.C. Gen. Stat. Ch. 84 के अनुपालन में होना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार, जब एक पक्षकार का अपना एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त होता है, तो पक्षकार को भेजे जाने वाले सभी दस्तावेज या कोई सूचना केवल उसके कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाएगा। पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी प्रकार लागू और प्रभावी होगी, जैसे कि उसे सीधे पक्षकार को भेजा गया है।

30 जून, 2013 को या उसके बाद दायर किए गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय जो कि बाद में अपील होने पर उलट जाती है, से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के तहत है। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।

याचिका दायर:

निर्णय प्रेषित किया गया: